

झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची।

विज्ञापन संख्या-01/2025

राँची जिला में नवनामांकन के लिए विज्ञापन।

1. राँची जिला में गृह रक्षकों के नवनामांकन के लिए रसिदों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ONLINE आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ग्रामीण पट्ट प्रकाश तथा शहरी पट्ट प्रकाश के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में भरना-अवगत करेंगे।

नोट :- "गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षा उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकतानुसार उन्हें कार्यय पर प्रतिभूत किया जाता है, उतने ही कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर वार्षिक भुगतान देव होता है।

"बढ़ कोई वैधानिक सरकारी नौकरी या आयीविका का माध्यम नहीं है"। अतः उन्ही उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है, जो पट्ट की सेवा निस्वार्थ भाव से करने के लिए तत्पर हों।

2. गृह रक्षक के रूप में नवनामांकन के लिए उपलब्ध विहित निम्नवत है, यह औपचारिक संख्या है, जिसे बिना पूर्ण सूचना के सम्मोहित/ धट्टा/ बढ़ाया जा सकता है।

(क) ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए रसिद :-

क्र०	ग्रामीण प्रखण्ड का नाम	स्वीकृत बल	वर्तमान बल	रसिद		कुल रसिद
				पुरुष	महिला	
1.	कांके	110	35	38	37	75
2.	रातु	110	76	17	17	34
3.	धान्ही	110	66	22	22	44
4.	माण्डर	110	72	19	19	38
5.	लावुंग	110	72	19	19	38
6.	बुट्टा	110	35	38	37	75
7.	बेडो	110	89	11	10	21
8.	नामकुन	110	28	41	41	82
9.	अनामदा	110	17	47	46	93
10.	सिल्ली	110	22	44	44	88
11.	खलारी	110	00	55	55	110
12.	नगड़ी	110	00	55	55	110
13.	इटकी	110	03	54	53	107
14.	राहे	110	58	26	26	52
15.	बुट्टा	110	26	42	42	84
16.	सोनाहातु	110	22	44	44	88
17.	लगाड	110	32	39	39	78
18.	ओरमांडी	110	51	30	29	59
कुल =		1980	704	641	635	1276

(ख) शहरी गृह रक्षकों के लिए रसिद :-

क्र०	ग्रामीण प्रखण्ड का नाम	स्वीकृत बल	वर्तमान बल	रसिद		कुल रसिद
				पुरुष	महिला	
1.	शहरी	1257	919	169	169	338

उपरोक्त दोनों कोडिगों (ग्रामीण/ शहरी गृह रक्षक) के लिए नामांकन में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए कर्मांकित होंगे।

महिलाओं के लिए कर्मांकित पदों में से 05 प्रतिशत पद अर्थात प्रायः ललाकचुटा/परिवर्त्ता/विधा महिलाओं के लिए अर्थात होगा। ललाकचुटा/परिवर्त्ता/विधा अन्यथा के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त 05 प्रतिशत पद पुनः महिलाओं के लिए कर्मांकित अधिकार में समाविष्ट हो जायेगा।

शहरी गृह रक्षकों के लिए रसिद में 50 प्रतिशत पद तकनीकी वस्तु उम्मीदवारों के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर-तकनीकी/ तकनीकी वस्तु की रसिद एक-दूसरे से भरी जायेगी।

3. अर्हता :-

(क) आवेदनीय :-

(i) ग्रामीण गृह रक्षक :- अर्थात् को राँची जिला के उस प्रखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए, जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ONLINE आवेदन करेंगे। रक्षक अधिकार द्वारा निर्गत ONLINE आवेदनीय प्रमाण पत्र को आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।

(ii) शहरी गृह रक्षक :- अर्थात् को राँची जिला के उस शहरी क्षेत्र (नगर निगम, राँची) का सामान्य निवासी होना चाहिए। रक्षक अधिकार द्वारा निर्गत ONLINE आवेदनीय प्रमाण पत्र को आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।

(ख) उम्र सीमा :- 01.01.2025 को 19 से 40 वर्ष। (जन्म तिथि विनांक-01.01.1985 से 31.12.2005 के बीच)

(संयम अधिकार द्वारा निर्गत जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र को ONLINE आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।)

नोट :- जन्म तिथि हेतु राय कायदा (1) जन्म प्रमाण-पत्र (यदि है तो) 2) मेट्रिक एवं उत्तरदाता पात्र आवेदकों को जन्म तिथि हेतु मेट्रिक पात्र सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है तथा 7वीं पात्र आवेदकों को जन्म तिथि हेतु विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र एवं एक अन्य सरकारी कागजात, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो (यथा-आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/ जन्म प्रमाण-पत्र/पासपोर्ट आदि) प्रमाण-पत्र ONLINE आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।

(ग) शैक्षणिक योग्यता :-

(i) ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पात्र एवं उत्तरदाता संबंधित।

(ii) शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मेट्रिक (10वीं) पात्र एवं उत्तरदाता संबंधित।

(संयम अधिकार द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र को ONLINE आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।)

(घ) शारीरिक मापदंड :- (ग्रामीण/ शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए सामान्य)

(i) लम्बाई :- पुरुष - 162 सेमी (पांचपाँच/अंगुली) / 5'0" (महिला) - 157 सेमी (पांचपाँच/अंगुली)

(ii) सीमा :- पुरुष - 75 सेमी (सामान्य/अंगुली) / 5'0" (महिला) - 75 सेमी (अंगुली) / 5'0"

(शारीरिक माप में त्रुटि के लिए संयम अधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र को ONLINE आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।)

(च) तकनीकी दक्षता (रसिद तकनीकी वस्तु शहरी गृह रक्षक अर्थात् रसिद के लिए) :- अर्थात् को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में काम करने चाहिए तथा उचित रसिदों को कार्यवाही में कार्यरत/रसिदों के साथ तकनीकी जानकारी होना चाहिए। इन जानकारी को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जायेगा।

चिकित्सक, अपिचला, अधिकृत, प्रधानाचार्यक, नर्स, कम्प्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लार्डसेसवारी चालक (एकजनरल/एकजनरल) रसिद, बूट, मोपी, वाई, बिकली मिरर, बाली, पलम्बर आदि। (संयम अधिकार द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र को ONLINE आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।)

4. चयन प्रक्रिया :- गृह विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की अधिसूचना संख्या-5442, दिनांक-20.10.2014 के आलेख में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित जाँच परीक्षा की जायेगी :-

(क) शारीरिक जाँच परीक्षा :- इसके अन्तर्गत 01 मील की वॉइ, ऊँची कूद, लम्बी कूद, शॉट पुट सम्मिलित होगा, जिसमें एक निम्नलिखित प्रदान किया जायेगा।

(i) ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर-तकनीकी शहरी गृह रक्षक अर्थात् रसिद के लिए :-

जाँच	पुरुष	महिला
दौड़ (01 मील)	5 मिनट या पहले - 20 अंक 5 मिनट से 6 मिनट तक - 10 अंक 6 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे।	8 मिनट या पहले - 20 अंक 8 मिनट से 10 मिनट तक - 10 अंक 10 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे।
ऊँची कूद	(क) न्यूनतम 4 फीट - 5 अंक (ख) 4' - 4'3" - 6 अंक (ग) 4'3" - 4'6" - 7 अंक (घ) 4'6" - 4'9" - 8 अंक (च) 4'9" - 5' - 9 अंक (च) 5' से अधिक - 10 अंक	(क) न्यूनतम 3 फीट - 5 अंक (ख) 3' - 3'3" - 6 अंक (ग) 3'3" - 3'6" - 7 अंक (घ) 3'6" - 3'9" - 8 अंक (च) 3'9" - 4' - 9 अंक (च) 4' से अधिक - 10 अंक
लम्बी कूद	(क) न्यूनतम 12 फीट - 5 अंक (ख) 12' - 13' - 6 अंक (ग) 13' - 14' - 7 अंक (घ) 14' - 15' - 8 अंक (च) 15' - 16' - 9 अंक (च) 16' से अधिक - 10 अंक	(क) न्यूनतम 09 फीट - 5 अंक (ख) 09' - 10' - 6 अंक (ग) 10' - 11' - 7 अंक (घ) 11' - 12' - 8 अंक (च) 12' - 13' - 9 अंक (च) 13' से अधिक - 10 अंक
शॉट पुट	16 फीट - न्यूनतम 16 फीट	10 फीट - न्यूनतम 10 फीट

(ii) तकनीकी वस्तु शहरी गृह रक्षक अर्थात् रसिद के लिए :-

जाँच	पुरुष	महिला
दौड़ (01 मील)	8 मिनट या पहले - 20 अंक 8 मिनट से 10 मिनट तक - 10 अंक 10 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे।	8 मिनट या पहले - 20 अंक 8 मिनट से 12 मिनट तक - 10 अंक 12 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे।
ऊँची कूद	(क) न्यूनतम 3.5 फीट - 5 अंक (ख) 4' से अधिक - 10 अंक	(क) न्यूनतम 2.5 फीट - 5 अंक (ख) 3' से अधिक - 10 अंक
लम्बी कूद	(क) न्यूनतम 9 फीट - 5 अंक (ख) 10' और अधिक - 10 अंक	(क) न्यूनतम 6 फीट - 5 अंक (ख) 7' और अधिक - 10 अंक
शॉट पुट	16 फीट - न्यूनतम 12 फीट	10 फीट - न्यूनतम 8 फीट

(ख) हिन्दी लेखन-धमता परीक्षा :- शारीरिक जाँच परीक्षा में सफल अर्थात् को हिन्दी लेखन धमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के संलग्नित लेखन धमता की जाँच की जायेगी। यह परीक्षा/परीक्षा होगा, पूर्णक 100 एवं सफलता 50 होगा।

(ग) तकनीकी दक्षता परीक्षा (रसिद तकनीकी वस्तु गृह रक्षक अर्थात् रसिद के लिए) :- शारीरिक जाँच परीक्षा एवं हिन्दी लेखन धमता परीक्षा में सफल अर्थात् की तकनीकी दक्षता परीक्षा की जायेगी, जो क्वालिफाई होगा, पूर्णक 100 एवं सफलता 50 होगा।

(घ) उन्ही जाँच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपर्युक्त अधिसूचना में दिये गये प्रश्नपत्र के आधार पर क्वालिफाई होकर की जायेगी, जिसमें अन्तर्गत में रसिद के विरुद्ध धमता किया जायेगा। धमति अर्थात् रसिद का चिकित्सकीय जाँच तथा धमति द्वारा धमति सत्यापन करने के पश्चात् उसे अनुकूल पाये जाने पर धमति अर्थात् रसिद को झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, राँची के आदेशोपरांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन कर प्रकाशन अनुसार नामांकन प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।

अर्थात् को पट्ट/धमति सत्यापन के पश्चात् पुनः पट्टा दत्त है, उन्हें निम्नलिखित अतिरिक्त अंक प्रदान किया जायेगा। (संयम अधिकार द्वारा निर्गत पुरस्कार प्रमाण-पत्र की रसिद-अभिप्रेक्षा/धमति धमति सत्यापन करने के लिए)

शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रसिदों के 10 प्रतिशत नामांकित करने की सीमा निर्धारित है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रदान द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र की रसिद-अभिप्रेक्षा/धमति धमति सत्यापन करने। सरकारी सेवकों की रसिदों के योग्यता के आधार पर निम्नलिखित अंक दिये जायेंगे :-

स्थान	राज्यीय	राज्य स्तरीय
प्रधान	06 अंक	03 अंक
उपप्रधान	04 अंक	02 अंक
सूचीय	02 अंक	01 अंक

शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रसिदों के 10 प्रतिशत नामांकित करने की सीमा निर्धारित है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रदान द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र की रसिद-अभिप्रेक्षा/धमति धमति सत्यापन करने। सरकारी सेवकों की रसिदों के योग्यता के आधार पर निम्नलिखित अंक दिये जायेंगे :-

आवेदन कैसे करना करें :- आवेदक केवल NIC RANCHI के द्वारा उपलब्ध कराये गये rportalhgegovran.in पर ही दिनांक-15.06.2025 से दिनांक-30.06.2025 तक अपना आवेदन ONLINE कर पायेंगे। किसी भी स्थिति में आवेदक के द्वारा OFFLINE/BY POST कार्यालय में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन शुल्क की राशि मात्र 200/-/रु० है, जो ऑनलाइन rportalhgegovran.in में उपलब्ध LINK से ही ONLINE भुगतान करना अनिवार्य होगा।

ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर की अपेक्षा करना अनिवार्य करेंगे।

एक आवेदक से एक ही आवेदन वस्तु स्वीकार होगा। एक से अधिक आवेदन पाये जाने पर संबंधित अर्थात् का आवेदन स्वतः रद्द संख्या जायेगा।

अर्हता के अनुसार आवेदक से ऑनलाइन आवेदन में मौनी माई सभी विवरणों को पूर्ण रूप से भरना अनिवार्य है।

आवेदक जिला के किसी भी प्रशासक केन्द्र से ऑनलाइन आवेदन समाप्त कर सकते हैं, आवेदक को आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में जिला कार्यालय, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची से सम्पर्क स्थापित करेंगे।

आवेदक द्वारा आधार कार्ड/मजदारा पहचान पत्र/ड्राइविंग लाईसेंस/पैन कार्ड में से किसी एक का धिक्का ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य है।

जाँच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

अर्थात् द्वारा ऑनलाइन एवं गये गलत सूचना पर संबंधित अर्थात् के आवेदन को स्वतः रद्द संख्या जायेगा साथ ही उक्त आवेदक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

प्रस्तावित धमति-नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होना तक, धमति धमति उक्त धमति धमति, राँची का निर्गत पोस्ट एवं अनुसूचना के आधार पर धमति धमति, राँची भेजे गये प्रस्ताव पर आवेदक को गृह रक्षक के रूप में नामांकित करने संबंधी कोई भी आदेश निर्गत होता है तो उक्त प्रखण्ड अथवा शहरी क्षेत्र की स्थिति रद्द जायेगी।

जिला समादेश, वरीय पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची।

PR 353500 (Ranchi) 25-26 (D)